न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – सौरभ स्वामी, I.A.S.

वादपत्र संख्या 102/2018
अन्तर्गत धारा 88, 183, 209 राज. काश्तकारी अधिनियम

श्रीमती चरणजीतकौर आत्मजा स्व. श्री दलीपसिंह धर्मपत्नी श्री बिन्द्रसिंह, चक 9 एच.एच. तहसील व जिला श्रीगंगानगर वर्तमान 69 जी.बी. तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर

...वादिया

बनाम

1. लाभसिंह आयु 51 वर्ष आत्मज श्री करनैलसिंह, जटसिख, चक 9 एच.एच. तहसील व जिला श्रीगंगानगर.
2. ज्ञानसिंह आयु 48 वर्ष आत्मज श्री करनैलसिंह, जटसिख, चक 9एच.एच. तहसील व जिला श्रीगंगानगर.

..प्रतिवादीगण

उपस्थित– श्री विक्रम बिश्नोई (वादिया)
श्री संजय जनवेजा (प्रतिवादी–1)

दिनांक 22 अक्तूबर, 2018

– निर्णय –

वादपत्र के तथ्यों के अनुसार चक 9 एच.एच. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 17/19 मुरब्बा नम्बर 15, 27, 54, 55, 56, 59 की कुल 16.203 हैक्टर में से 0.550 हैक्टर में से ¼ हिस्सा कृषि भूमि वादिया के नाम पर खातेदारी दर्ज है. जो श्री जरनैलकौर धर्मपत्नी स्व. श्री दलीपसिंह की मृत्योपरान्त विरासतन नामान्तरकरण संख्या 412 दिनांक 6 नवम्बर, 2017 दर्ज है. इसी खाता में प्रतिवादीगण के नाम पर 3.161 हैक्टर कृषि भूमि दर्ज है. वादिया के नाम पर चक 9 एच.एच. के खाता संख्या 19/20 मुरब्बा नम्बर 15 एवं 37 की कुल 3.162 हैक्टर में से 0.208 हैक्टर में से 1/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज है. इस खाता में भी प्रतिवादीगण के नाम भूमि दर्ज है. प्रतिवादीगण की भूमि दोनों खातों में होने के कारण तथा वादिया एवं श्रीमती छिन्द्रपालकौर व अन्य की भूमि कम होने के कारण प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तावित किया गया कि वादिया व अन्य अपनी भूमि प्रतिवादीगण को दे तो एसकी एवज में प्रत्येक को 1,20,000.00 देने के पाबन्द रहेंगे. जिसकी परिणति में, राजीनामा दिनांक 9 मार्च, 2017 निष्पादित किया जाकर प्रतिवादीगण द्वारा वादिया के हिस्सा की कुल 1,20,000.00 में से केवल 20,000.00 राशि का भुगतान करते हुऐ निश्चित किया गया कि वादिया की माता मृतका श्रीमती जरनैलकौर की भूमि वारिया एवं अन्य के नाम पर दर्ज होने पर शेष राशि 1–1,00,000.00 (एक–एक लाख मात्र) का भुगतान कर प्रतिवादीगण अपने व्यय पर आवश्यक दस्तावेज निष्पादित एवं प्रमाणित करवा लेंगे. वादिया की माता मृतका श्री जरनैलकौर के नाम पर खाता संख्या 17/19 में 0.550 हैक्टर

दर्ज थी जिसे नामान्तरकरण संख्या 412 दिनांक 6 नवम्बर, 2017 द्वारा वादिया एवं मृतका श्रीमती जरनैलकौर के अन्य वारिसान के नाम पर खातेदारी दर्ज की जा चुकी है. तथा वादपत्र भी प्रत्याहरित किया जा चुका है किन्तु प्रतिवादीगण द्वारा वादिया के हिस्सा की शेष राशि एक लाख मात्र का भुगतान नहीं किया गया जबकि वादिया अपने हिस्सा की भूमि प्रतिवादीगण के नाम करवाने के लिये अपने हस्ताक्षर/अंगूठा करने के लिये सदैव तत्पर रही है. किन्तु प्रतिवादीगण द्वारा लालचवश राशि का भुगतान नहीं किया गया. जिस पर दिनांक 1 अगस्त, 2017 को वादिया द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से एक विधिक नोटिस भी बार बार फोन करने पर नहीं उठाये जाने के कारण प्रेषित किया गया. जिसके बावजूद भी प्रतिवादीगण द्वारा शेष राशि का भुगतान नहीं किया गया. ऐसी स्थिति में, वादिया द्वारा श्रीमान जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर को आवेदनपत्र दिनांक 31 जनवरी, 2018 प्रस्तुत किया गया चूंकि लालच के वशीभूत प्रतिवादीगण द्वारा जानबूझ कर शेष राशि का भुगतान न कर वादिया के हिस्सा की कृषि भूमि पर कब्जा होने के कारण अनुचित लाभ उठाना चाहते हैं. नोटिस प्राप्ति के बावजूद न तो प्रतिवादीगण शेष राशि का भुगतान किया गया व न ही वादिया के हिस्सा की कृषि भूमि का कब्जा ही वापिस दिया गया. इस प्रकार प्रतिवादीगण वादिया के हिस्सा की भूमि पर बतौर अतिक्रमी काबिज होकर अनुचित लाभ प्राप्त कर रहे हैं जिसे वादिया पुनः कब्जा प्राप्त करने की अधिकारिणी है. प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा दिनांक 09 मार्च, 2017 की मूल प्रति प्रतिवादीगण के कब्जा में है. ऐसी परिस्थिति में, वादिया के लिये वादपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है. वादिया द्वारा प्रतिवादीगण से बार बार आग्रह किया गया कि वह चूंकि बकाया राशि अदा न कर राजीनामा की शर्तो की अवहेलना कर चुके हैं. अतः कब्जा वादिया को सोंप देवें किन्तु प्रतिवादीगण टालमटोल करते हुऐ दिनांक 20 मई, 2018 को साफ इन्कार हो गये तथा एलानिया धमकी दी कि वे वादिया के हिस्सा की भूमि, जिस पर नाजायज कब्जा किया हुआ है, को अन्य किसी असामाजिक तत्वों को अन्तरित कर देंगे जिससे वादिया कब्जा न प्राप्त कर सके. यही वाद हेतुक उपलब्ध है. वादिया के हिस्सा की कृषि भूमि यद्यपि संयुक्त खाता में दर्ज है किन्तु अन्य हिस्सेदार घरू बंटवारा के आधार पर अपने अपने हिस्सा पर काबिज हैं, वादिया के हिस्सा की भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा नाजायज कब्जा कर रखा है इसलिये अन्य हिस्सेदार प्रभावित न होने से पक्षकार बनाये जाने की आवश्यकता नहीं है. प्रतिवादीगण द्वक्षरा अपने नाम दर्ज भूमि दोनों खाता के अतिरिक्त वादिया के हिस्सा की कृषि भूमि पर नाजायज कब्जा कर रखा है इसलिये उसी की सीमा तक वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया. इस प्रकार वादिया द्वारा चक 9 एच.एच. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 17/19 मुरब्बा नम्बर 15, 27, 54 से 56 एवं 59 की कुल 16.203 हैक्टर में से वादिया के नाम पर दर्ज 0.550 हैक्टर में से ¼ हिस्सा कृषि भूमि एवं खाता संख्या 19/20 मुरब्बा नम्बर 15, 37 हैक्टर में से 0.208 हैक्टर में से 1/3 हिस्सा जिस पर प्रतिवादीगण का नाजायज कब्जा है, प्रतिवादीगण के विरूद्व डिक्री जाकर कर कब्जा दिलवाये जाने का निवेदन किया गया. वादपत्र के तथ्यों के समर्थन में चक 9 एच.एच. के खाता संख्या 17/19 की जमाबन्दी सम्बत्

2068–2071, चक 9 एच.एच. की तीन जमाबन्दी सम्बत् 20–20, चक 9 एच.एच. का नामान्तरकरण संख्या 74, चक 9 एच.एच. का नामान्तरकरण संख्या 77 एवं दस्तावेज राजीनामा दिनांक 09 मार्च, 2017 की चित्रित प्रतियां संलग्न प्रस्तुत की गयी.

प्रतिवादी संख्या 1 अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित.

प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से आवेदनपत्र दिनांक 10 अगस्त, 2018 अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11(क),(घ) सपठित धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता प्रस्तुत किया गया. जिसके अनुसार विचाराधीन वादपत्र में प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्ताव किया कि वादिया व अन्य अपनी कृषि भूमि उन्हें दे तो उसकी एवज में प्रत्येक को राशि 1,20,000.00 देने के पाबन्द रहेंगे, जिसके परिणामताः राजीनामा दिनांक 9 मार्च, 2017 निष्पादित किया जाकर प्रतिवादीगण द्वारा वादिया के हिस्सा की राशि 1,20,000.00 में से 20,000.00 अग्रिम का भुगतान का निश्चित किया गया कि वादिया की मृतक माता श्रीमती जरनैलकौर की भूमि वादिया के नाम पर दर्ज होने पर शेष राशि 1–1,00,000.00 का भुगतान किया जाकर अभिलेख प्रमाणित किया जा सकेगा. इस प्रकार वाद की विषयवस्तु सिविल प्रकृति की है जिसकी बाबत सिविल न्यायालय द्वारा ही अनुतोष प्रदान किया जा सकता है. इस प्रकार विचाराधीन वादपत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार से सम्बद्व नहीं होने के कारण विधि द्वारा वर्जित होने के कारण इसी स्तर पर निरस्त किये जाने योग्य है. वादिया व अन्य द्वारा इसी कृषि भूमि की बाबत माननीय न्यायालय के समक्ष वाद संख्या 22/2016 शीर्षक श्रीमती छिन्द्रकौर व अन्य बनाम ज्ञानसिंह व अन्य प्रस्तुत किया गया था जिसकी विषयवस्तु प्रत्यक्ष एवं सारपूर्ण रूप से इस वाद के समान है जिसका माननीय न्यायालय द्वारा निस्तारण किया जा चुका है इसलिये भी, वादिया को पुनः वाद प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है. प्रकरण की प्रश्नगत कृषि भूमि से सम्बद्व भूमिधारक तहसीलदार व अन्य समस्त सहखातेदारों को प्रतिपक्षकार बनाया जाना आवश्यक है किन्तु वादिया द्वारा विचाराधीन वादपत्र में भूमिधारक तहसीलदार एवं अन्य सह खातेदारों को प्रतिपक्षकार नहीं बनाया गया इसलिये भी विचाराधीन वादपत्र पोषणीय नहीं है. विचाराधीन आवेदनपत्र जिन आधार पर विचाराधीन वादपत्र इसी स्तर पर निरस्त किये जाने का आवेदन किया जा रहा है, उसके लिये केवल वाद में उल्लेखित अभिकथनों का अवलोकन ही पर्याप्त है जिसके लिये किसी साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है. केवल वादपत्र के तथ्यों से ही स्पष्ट प्रकृट होता है कि वादी द्वारा चाहे गये अनुतोष की कोई घोषणा राजस्व न्यायालय द्वारा नही की जा सकती. इस प्रकार आवेदनपत्र में उठाये बिन्दुओं का निस्तारण कर वादपत्र इसी स्तर पर निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया.

वादिया की ओर से जवाब आवेदनपत्र दिनांक 3 अक्तूबर, 2018 प्रस्तुत किया गया. जिसके अनुसार विचाराधीन वाद की विषयवस्तु एग्रीमेन्ट ऑफ सेल नहीं है. वादी द्वारा सिविल प्रकृति का वाद प्रस्तुत नही किया गया है तथा विचाराधीन वादपत्र प्रतिवादी की बेदखली का है इसलिये आवेदनपत्र निरस्त किये जाने योग्य है. माननीय न्यायालय के

समक्ष पूर्व वाद शीर्षक श्रीमती छिन्द्रपालकौर व अन्य बनाम श्रीमती ज्ञानकौर व अन्य था जिसका विचाराधीन वादपत्र पर कोई प्रभाव नहीं है. धारा 88, 183, 209 में तहसीलदार आवश्यक पक्षकार नहीं है, वादी की भूमि पर प्रतिवादी का कब्जा होने से प्रतिवादी को ही पक्षकार बनाया गया है. वाद सही प्रस्तुत किया गया है इसलिये आवेदनपत्र निरस्त किये जाने योग्य है. प्रतिवादी द्वारा जानबूझ कर जवाब वादपत्र प्रस्तुत नहीं किया जा रहा क्योंकि वादी की भूमि पर नाजायज रूप से काबिज है मात्र वादपत्र का लम्बा करने की नीयत से आवेदनपत्र प्रस्तुत किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है. इस प्रकार आवेदनपत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया.

अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गयी.

पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन करते हुऐ प्रस्तुत बहस आवेदनपत्र का मनन किया गया. एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत 1997 RRD 319 Ananada @ Anandi Lal & ors vs. Hari Shankar & anr का सादर अवलोकन किया गया.

उक्त बहस सुने जाने के बाद वादी अधिववक्त द्वारा आवेदनपत्र दिनांक 18 अक्तूबर, 2018 अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1 व्यवहार प्रकिया संहिता प्रस्तुत किया गया. जिसके समर्थन में दस्तावेज बैयनामा दिनांक 22 मार्च, 2018 की चित्रित प्रति सलंग्न प्रस्तुत की गयी.

वादपत्र के तथ्यों के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज राजीनामा दिनांक 09 मार्च, 2017 के पृष्ठ संख्या 3 पर अंकित बिन्दु संख्या 4 के अनुसार भविष्य में किसी भी पक्षकार द्वारा दस्तावेज राजीनामा की शर्तो की अवहेलना करने की सूरत में दूसरा पक्षकार इस राजीनामा के आधार पर सक्षम न्यायालय में कार्यवाही कर पालना करवाने के लिये स्वतन्त्र रहेगा, के परिदृश्य राजीनामा दिनांक 09 मार्च, 2017 सशर्त होने के कारण स्पष्टताः अनुबन्ध की परिभाषा में आता है जिसकी बाबत किसी भी प्रकार के वाद के श्रवणाधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नहीं हैं. पूर्व में इस न्यायालय में विचाराधीन वादपत्र संख्या 22/2016 शीर्षक छिन्द्रपाल व अन्य बनाम ज्ञानसिंह व अन्य में वादीगण द्वारा आवेदनपत्र दिनांक 09 मार्च, 2017 प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थीगण/वादीगण का प्रतिवादीगण के साथ कृषि भूमि की बाबत चल रहा विवाद अब खत्म हो चुका है. इस सम्बन्ध में हमारा पंचायत के सम्मापित व्यक्तियों द्वारा परस्पर राजीनामा करवा दिया है इसलिये प्रार्थीगण/वादीगण वाद को इसी स्तर पर प्रत्याहरित कर नस्तीबद्व किये जाने का निवेदन करने के परिणामताः दिनांक 09 मार्च, 2017 को प्रकरण नस्तीबद्व किया गया. इस प्रकार पूर्व वादपत्र के प्रत्याहरण करने एवं राजीनामा दिनांक 09 मार्च, 2017 सशर्त होने के कारण स्पष्टताः अनुबन्ध की परिभाषा में आता है, जिसके परिदृश्य विचाराधीन वादपत्र इस न्यायालय के श्रवणाधिकार से सम्बद्व नहीं होने के परिणामताः विधि द्वारा वर्जित है. इस प्रकार आवेदनपत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रकिया संहिता स्वीकार किये जाने तथा वादपत्र इसी स्तर पर निरस्त किये जाने योग्य है. चूंकि वादिया अधिवक्ता द्वारा

डिक्री

(order 20 rule 6-7 CPC)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – सौरभ स्वामी, I.A.S.

श्रीमती चरणजीतकौर आत्मजा स्व. श्री दलीपसिंह धर्मपत्नी श्री बिन्द्रसिंह, चक 9 एच.एच. तहसील व जिला श्रीगंगानगर वर्तमान 69 जी.बी. तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर

...वादिया

बनाम

1. लाभसिंह आयु 51 वर्ष आत्मज श्री करनैलसिंह, जटसिख, चक 9 एच.एच. तहसील व जिला श्रीगंगानगर.
2. ज्ञानसिंह आयु 48 वर्ष आत्मज श्री करनैलसिंह, जटसिख, चक 9एच.एच. तहसील व जिला श्रीगंगानगर.

..प्रतिवादीगण

वादपत्र संख्या 102/2018
अन्तर्गत धारा 88, 183, 209 राज. काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण में न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर द्वारा वादी अधिवक्ता श्री विक्रम बिश्नोई एवं अधिवक्ता श्री संजय जनवेजा प्रतिवादी संख्या 1 की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि –

आवेदनपत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11(क),(घ) सपठित धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता स्वीकार किया जाता है तथा वादपत्र इसी स्तर पर निरस्त किया जाता है.

वाद व्यय शून्य वास्ते....शून्य.....खर्चा इस प्रकरण पर हुऐ व्यय मय ब्याज...शून्य... ....दर वार्षिक ...शून्य.....आज की तिथि से वसूली दिवस तक अदा करें.

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 22 अक्तूबर, 2018 को जारी की गयी.

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर.

वादी	राशि (00.00)	प्रतिवादी	राशि (00.00)
स्टाम्प वादपत्र	00.00	स्टाम्प वकालतनाम	00.00
स्टाम्प वकालतनाम	00.00	स्टाम्प आवेदनपत्र	00.00
स्टाम्प अभिलेखीय साक्ष्य	00.00	वकील शुल्क	00.00
वकील शुल्क	00.00	व्यय साक्षीगण	00.00
व्यय साक्षीगण	00.00	आयुक्त शुल्क	00.00
आयुक्त शुल्क	00.00	व्यय इजराय	00.00
कुल	**00.00**	**कुल**	**00.00**